कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग रतलाम म.प्र.

Email - eewrdrtm@rediffmail.com

पत्र क्रमांक\_1/32 / कार्य / 2024

रतलाम, दिनांक 14-06- 2024

प्रति

वनमण्डाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रतलाम

- विषय जिल रतलाम में अंतर्गत कुआझॉगर तालाब निर्माण हेतु 20.512 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत् ।
- संदर्भ प्रधान मुख्य वन सरंक्षण (कक्ष–भू प्रबंध), वन भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–3/103/2022/ 10–11/16/1376–1377 भोपाल, दिनांक 04.03.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कुॅआझागर तालाब तहसील रतलाम के निर्माण से प्रभावित वन भूमि रकबा 20.512 हैक्टर के सम्बन्ध में चाही गई अतिरिक्त जानकारी का बिन्दुवार प्रतिवदेन निम्नानुसार एवं दो प्रति में बुकलेट आपकी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं ।

बिन्दु क्रमांक	बिन्दु का विवरण	पालन प्रतिवेदन
1	No objection certificate of concerned departments (Railway, pipeline, Road TL, etc) needs to be submitted.	संबधित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Muck disposal scheme shall be submitted.	मक डिस्पोजल संलग्न हैं
3	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted.	DFO कार्यालय से सम्बन्धित है।
4	KML file of Alternative alignments shall be submitted/Uploaded on web portal.	पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है
5	Reccomendation of CCF(T) Part-II needs to be uploaded on web portal.	वन विभाग से सम्बन्धित ।
6	Catchment area Treatment Plan shall be submitted.	Catchment area Treatment Plan संलग्न है।
7	Submergence should be less than 10% of the benefited area and in any case the submergence should not be more than 20% of the extent of the benefited area. The comments in this regard shall be submitted.	डूब क्षेत्र मापदंड अनुसार है।
8	The employment details filled in online portal is not filled in correct manner shall be rechecked.	ऑनलाईन पोर्टल पर सुधार कर लिया गया है।
9	This is not clear whether any other component is involved in the project or only submergence is required shall be clarified.	कंपोनेंट वाइस ब्रेकअप कर दिया गया है।
10 Desktor	In DSS analysis the minor area of the propsed diversion is going beyond the boundary of Forest area as per the working plan. The State Govt. needs to be clarified whether the area is part of revenue forest or non forest etc. the status of land shall be corrected accordingly in online Part-II	डूब क्षेत्र वोंकिग प्लान अनुसार वन क्षेत्र में आता है।

Desktop/WRD Letter 2023

11	It is important to ensure that the proposed project does not submerge species of flora or fauna. Therefore, it is desirable that botanical and Zoological survey of the submergence area is fone by experts from related fielda. Is there any study taken up by the state Govt.	
12	The title of the project is construction of tank. while the KML depicts otherwise. No other components are depicted. shall be clarified.	सुधार कर लिया गया है ।

सहपत्र – उपरोक्तानुसार

(एन.पी.देव) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम रेतलाम, दिनांक

पू. क्रमांक———— / कार्य / 2024

प्रतिलिपि –

अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग सैलाना की ओर आपके पत्र क्रमांक 191 / कार्य/2024 सैलाना, दिनांक 03.06.2024 के सम्बन्ध में भेजकर लेख है कि सम्बन्धित कार्यालय में उपस्थिति होकर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें ।

सहपत्र – शून्य

1

राजरव स्थापना/स्यय/ रहेनो / मा.वि. **छ.च.**म.अ. ा. निरीक्षण/ डिलाधिकारी रतलान

*दिन्त) ह* कार्यपालन यंत्री

कार्यपालन यत्री जल संसाधन संभाग रतलाम